30-4-2018	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण के वकील उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थी के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाये जाने हेतु अभी तक प्रार्थी के विधिक वारिसान की ओर से कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही हुआ है एवं न ही प्रकरण में प्रार्थी के विधिक वारिसान की ओर से कोई अधिकृत अधिवक्ता उपस्थित हुआ है। अतः यह निगरानी प्रार्थना पत्र अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। अति. जिला कलक्टर सिरोही (राज.)	